उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग,

हरिद्वार–249404

Website: www.psc.uk.gov.in

विज्ञापन संख्या :–A-1/DR(AP&AAP)/S-2/2023

सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद् नियोजक परीक्षा–2023
(Assistant Planner and Assistant Architect Planner Examination - 2023)

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	31 जनवरी, 2023
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	–	20 फरवरी, 2023 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI Payment द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	20 फरवरी, 2023 (रात्रि 11.59.59 बजे तक)
ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंट आउट प्रति, समस्त शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों के साथ जमा करने की अंतिम तिथि	–	02 मार्च, 2023 (सांय 6.00 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–

1.	अभ्यर्थी अपने ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना चाहिए।
2.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि वह ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् **दिनांक 20 फरवरी, 2023** तक विज्ञापन में वर्णित अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। अभ्यर्थी की शैक्षिक अर्हता के सम्बन्ध में परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि (Result Declaration Date), वह मानी जायेगी जो अंक पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) हो। अतः अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण (Result Declaration Date) के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन करें। **विज्ञापन की शर्तानुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा,** जिसकी जिम्मेदारी पूर्णतः अभ्यर्थी की होगी।
3.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। किसी भी स्थिति में अपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
4.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी आदि) के आधार पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की इस परीक्षा से व समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर लिखना या लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
5.	ऑनलाईन आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों यथाः–पदनाम, अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, विषय, आयु एवं परीक्षा केन्द्र इत्यादि से सम्बन्धित विवरण में किसी भी प्रकार के संशोधन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।
6.	प्रश्नगत् परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन माध्यम से ही आवेदन–पत्र स्वीकार किये जायेंगे।

7.	अभ्यर्थी परीक्षा योजना के लिए **परिशिष्ट–01**, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु **परिशिष्ट–02**, अनुभव प्रमाण–पत्र के प्रारूप हेतु **परिशिष्ट–03** का अवलोकन करें।
8.	ऑनलाईन आवेदन के क्रम में अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति के साथ शैक्षणिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण इत्यादि से संबंधित समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम **तिथि 02 मार्च, 2023** तक जमा कराया जाना अनिवार्य है। उक्त तिथि के पश्चात् प्राप्त होने वाले अभिलेखों/प्रमाण पत्रों को स्वीकार नहीं किया जायेगा, तथा इस दशा में ऐसे अभ्यर्थियों का ऑनलाईन आवेदन निरस्त कर दिया जायेगा।
9.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन–पत्र जमा करना सुनिश्चित करें।
10.	प्रश्नगत चयन के अंतर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के अनुसार अभ्यर्थियों को उनकी आरक्षण श्रेणी/उप–श्रेणी के अनुसार न्यूनतम् अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर ही प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
11.	स्क्रीनिंग परीक्षा होने की दशा में स्क्रीनिंग परीक्षा का पाठ्यक्रम यथा समय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जायेगा, तदक्रम में अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा की तिथि की सूचना तथा साक्षात्कार परीक्षा की तिथि की सूचना आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अंतर्गत सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद् नियोजक के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पात्र अभ्यर्थियों से ऑनलाईन आवेदन पत्र (Online Application) आमन्त्रित किये जाते हैं। अभ्यर्थियों का चयन साक्षात्कार के प्राप्तांक से निर्मित प्रवीणता सूची के आधार पर किया जायेगा।

1. **पदवार रिक्तियों का विवरण** :–उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के अंतर्गत सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद् नियोजक पद हेतु रिक्तियों का विवरण निम्नवत् है।

(क) सहायक नियोजक– कुल रिक्त पद – 05

I. उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

क्र0 स0	पदनाम	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	सहायक नियोजक	01	00	00	00	04	05

II. क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

क्र0 स0	पदनाम	उत्तराखण्ड महिला	उत्तराखण्ड दिव्यांगजन	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
1	सहायक नियोजक	01	00	00	00	00

नोट :–प्रश्नगत पद किसी भी दिव्यांगजन श्रेणी के लिए चिन्हित नहीं है, तद्क्रम में दिव्यांगजन के अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2.	**पद का स्वरूप**	–	समूह 'ख' राजपत्रित / स्थाई / अंशदान पेंशन योजना
3.	**वेतनमान**	–	वेतनमान रू0 56100–177500 (लेवल–10)
4.	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता**	–	किसी मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन / अर्बन प्लानिंग / रीजनल प्लानिंग / ट्रेफिक एण्ड ट्रान्सपोर्ट प्लानिंग / हाउसिंग में स्नातकोत्तर उपाधि / एम0टेक अथवा इनके समकक्ष शैक्षिक योग्यता **अथवा** किसी मान्यता प्राप्त संस्था / विश्वविद्यालय से बैचलर इन प्लानिंग / बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन प्लानिंग अथवा इनके समकक्ष शैक्षिक योग्यता के साथ केन्द्र सरकार / राज्य सरकार / केन्द्र शासित प्रदेश / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त संस्था अथवा पब्लिक सेक्टर अण्डर टेंकिग अथवा अर्द्धशासकीय संस्थानों में नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन के कार्य में तीन वर्ष का अनुभव। **अथवा** 2–निम्नलिखित संस्थाओं में से कम से कम एक संस्थान की निगमित सदस्यता – **क**–इन्स्टिटयूट आफ टाउन प्लानर्स (इण्डिया) **ख**–अमेरिकन इन्स्टिटयूट ऑफ टाउन प्लानर्स **ग**–रॉयल इन्स्टिटयूट आफॅ टाउन प्लानर्स (लंदन) Post Graduate degree in Urban and Regional planning/ Urban Planning/Regional planning/ Traffic and Transport planning /Housing from a recognized Institution/University/ M.Tech or equivalent Or Bachelor in Planning/Bachelor of technology in Planning or its equivalent educational qualification from a recognized institution/ university and three years work experience in Urban and Regional planning in Central Government/ State Government/ Union territory/ Recognized University/ Recognized Institution or Public Sector undertaking or Semi Government Institution. Or 1-Associate Membership of at least one of the following Institution. A- Institute of town Planners (India). B- American Institute of Town Planners. C- Royal Institute of town Planners (London).
6.	**अधिमानी अर्हता**	–	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने – (1) प्रान्तीय सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, (2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(ख) सहायक वास्तुविद् नियोजक – कुल रिक्त पद – 01

1. I. उर्ध्वाधर आरक्षण (Vertical Reservation)

क्र0स0	पदनाम	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति	उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति	अन्य पिछड़ा वर्ग	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	अनारक्षित	कुल योग
1	सहायक वास्तुविद् नियोजक	00	00	00	00	01	01

II. क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation)

क्र0स0	पदनाम	उत्तराखण्ड महिला	उत्तराख्ण्ड दिव्यांगजन	उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित	उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चे
1	सहायक वास्तुविद् नियोजक	00	00	00	00	00

नोट :–प्रश्नगत पद किसी भी दिव्यांगजन श्रेणी के लिए चिन्हित नहीं है, तद्क्रम में दिव्यांगजन के अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

2.	**पद का स्वरूप**	–	समूह 'ख' राजपत्रित/स्थाई/अंशदान पेंशन योजना
3.	**वेतनमान**	–	वेतनमान रू0 56100–177500 (लेबल–10)
4.	**अनिवार्य शैक्षिक अर्हता**	–	1–किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से बी0आर्च। तथा 2–किसी मान्यता प्राप्त संस्था/विश्वविद्यालय से नगर एवं क्षेत्रीय नियोजन/अर्बन प्लानिंग/रीजनल प्लानिंग/ट्रेफिक एण्ड ट्रान्सपोर्ट प्लानिंग/हाउसिंग में स्नातकोत्तर उपाधि/एम0टेक अथवा इनके समकक्ष शैक्षिक योग्यता। 1- B.Arch from a recognized Institution/ University. And 2- Post Graduate Degree in Urban and Regional Planning/ Urban Planning/Regional Planning/ Traffic and Transport Planning/ Housing from a recognized Institution/ University/ M.Tech or equivalent
5.	**अधिमानी अर्हता**	–	अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को अधिमान दिया जायेगा जिसने – (1) प्रान्तीय सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो, (2) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

2. आयु :– आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2023 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2023 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2002 के बाद तथा 02 जुलाई, 1981 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

3. अधिकतम् आयु सीमा में छूट :–आरक्षित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रवृत्त शासनादेशानुसार प्रदत्त उच्चतम आयु सीमा में छूट अनुमन्य होगी। उच्चतम आयु सीमा में छूट सम्बन्धी शासनादेशों के विस्तृत विवरण हेतु आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in देखें।

4. आरक्षण :– उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाइन आवेदन पत्र के सम्बन्धित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी/उप श्रेणी की सूचना प्रदान करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

   1. आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रारूप पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012 दिनांक 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।

   2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा महिला श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

   3. उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है। ऑनलाईन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।

   4. आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के "परिशिष्ट–4" में मुद्रित निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक आयोग कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख "परिशिष्ट–4" में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना भी आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

5. यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी, जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

6. राष्ट्रीयता :–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी–

(क) भारत का नागरिक हो, या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से 01 जनवरी, 1962 से पहले भारत आया हो, होना चाहिए, या

(ग) भारतीय मूल का व्यक्ति जिसने भारत में स्थायी रूप से बसने के आशय से पाकिस्तान, बर्मा, लंका तथा केनिया, युगांडा और संयुक्त तांजानिया गणराज्य (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) के पूर्वी अफ्रीकी देशों से प्रवजन किया हो परन्तु, उक्त श्रेणी (ख) और (ग) से सम्बन्धित अभ्यर्थी वह व्यक्ति होगा जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो। परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) से सम्बन्धित अभ्यर्थी के लिए भी पुलिस उप महानिरीक्षक अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड द्वारा प्रदत्त पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करना

आवश्यक होगा। परन्तु यह भी कि यदि अभ्यर्थी उक्त श्रेणी (ग) से सम्बन्धित है, प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष से अधिक अवधि के बाद उसके द्वारा भारत की नागरिकता प्राप्त करने पर सेवा में रखा जा सकेगा।

टिप्पणी :–जिस अभ्यर्थी के मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु उसे न तो उसे जारी किया गया और ना ही नामंजूर किया गया हो, उसे परीक्षा या साक्षात्कार में प्रवेश दिया जा सकता है और उसे अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है। किन्तु शर्त यह है कि उसके द्वारा आवश्यक प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया जाये या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाये।

7. **चरित्र** :–सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवायोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी :–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार अथवा संघ सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्व में अथवा नियन्त्रणाधीन किसी स्थानीय प्राधिकरण या निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के अपराध से सम्बद्व सिद्धदोष व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

8. **वैवाहिक प्रास्थिति** :–सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियाँ जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले से एक पत्नी जीवित हो;

परन्तु यदि सरकार को समाधान हो जाये की ऐसा करने के लिए विशेष कारण विद्यमान है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

9. **शारीरिक योग्यता** :–किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में तभी नियुक्त किया जायेगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। ऐसे अभ्यर्थी को, जो पहले से सरकार की स्थायी सेवा में न हो, अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परिषद द्वारा आयोजित परीक्षा में सफल पाया जाय :

10. **ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया :–**

(1) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in या https://ukpsc.net.in पर जायें।

(2) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात https://ukpsc.net.in पर जाकर MenuBar में How to Apply लिंक पर क्लिक करें। How to Apply page पर Instructions for filling up online application form को सावधानीपूर्वक पढ़ने के पश्चात Apply Now बटन पर क्लिक करें।

(3) Apply Now पर क्लिक करने के पश्चात् खुले Registration फॉर्म पर अपनी सही जानकरी भरकर Login हेतु Password बनाकर Continue पर क्लिक करें। Continue पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी Confirm Filled Information प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same पर Tick कर Submit पर क्लिक करें, अन्यथा No, I want to change some details पर Tick कर Edit Data पर क्लिक करें एवं संशोधित detail भरने के पश्चात् पुनः Registration फार्म Submit करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(4) Submit पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर Primary Registration पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं Registered Mobile No एवं Email पर Message प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर Click here to login के लिंक पर क्लिक करें।

(5) Login करने के पश्चात Educational Details पर क्लिक कर फॉर्म पर Post Information के अन्तर्गत Post Applying for में जिस पद हेतु आवेदन करना चाहते है, पर Tick करें। फॉर्म पर Educational Qualifications के अन्तर्गत सर्वप्रथम High School का विवरण भरें एवं Add Education Details पर क्लिक करें, भरा गया विवरण Add Education Details के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। इसी तरह Intermediate, Graduate, शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर Submit पर क्लिक करें। उसके पश्चात Upload Images पर क्लिक कर Photo, Signature को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। Photo, Signature अपलोड होने के पश्चात फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा, घोषणा को Tick करने के बाद शुल्क जमा करने हेतु Click here to Make Payment पर क्लिक करें। I Agree पर Tick करने के पश्चात Pay Now पर क्लिक कर आवेदन शुल्क जमा करने की कार्यवाही पूर्ण करें। आवेदन शुल्क जमा करने के पश्चात् Print Application Form पर क्लिक कर ऑनलाईन आवेदन–पत्र का प्रिंटआउट प्राप्त करें।

(6) **आवेदन शुल्क जमा करने के उपरान्त आवेदन**–पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द (Cancel) कर पुनः आवेदन कर सकते है। किन्तु इस दशा में आवेदन शुल्क वापस नहीं होगा। आवेदन रद्द (Cancel) करने के लिए Cancel My Application बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को Tick कर Proceed to Cancel बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु Back बटन पर क्लिक करें। Proceed to Cancel पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर ओ0टी0पी0 प्राप्त होगा, जिसको कि EnterOTP वाली फील्ड्स पर दर्ज कर Cancel Application बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द (Cancel) करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(7) अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के संबंध में यदि कोई गलत सूचना अथवा अभिलेख प्रस्तुत किये जाते हैं तो उन्हें आयोग द्वारा संबंधित परीक्षा व आगामी परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है।

<u>नोटः</u> (1) आवेदन शुल्क जमा किये जाने से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में संशोधन किया जा सकता है। संशोधन हेतु अभ्यर्थी Email-Id/Mobile Number एवं Password के माध्यम से Login करने के पश्चात् Update Personal Information पर क्लिक कर, Personal Information, Update Educational Information पर क्लिक कर, Educational Qualification एवं Reload Images पर क्लिक कर Photo एवं Signature को पुनः अपलोड कर सकते है। **ध्यान रहे कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, ई–मेल आई0डी0 एवं मोबाईल नंबर को Edit/Update**

नहीं किया जा सकता। ऑनलाईन आवेदन करते समय उत्पन्न समस्या के समाधान हेतु अभ्यर्थी ukpschelpline@gmail.com पर ई–मेल कर सकते हैं।

(2) Final Submission के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(3) परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा किया जा सकता है। **(उक्त परीक्षा हेतु आवेदन पत्र प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित प्रत्येक श्रेणी हेतु 26.55 रूपये है।)**

11. आवेदन शुल्क :– प्रश्नगत् परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को Net Banking/Debit Card/Credit Card/ UPI Payment के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–

क्र0सं0 (Sr. No.)	**श्रेणी** (Category)	**आवेदन–शुल्क** (Application Fees)	**प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित** (Processing Fees with Tax)	**कुल शुल्क** (Total Fees)
01.	अनारक्षित	रू0 150	रू0 26.55	रू0 176.55
02.	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	रू0 60	रू0 26.55	रू0 86.55
03.	अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रू0 150	रू0 26.55	रू0 176.55

नोट–उपश्रेणी के अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी के अनुसार आवेदन शुल्क जमा करेगें।

12. अभ्यर्थियों के लिए आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा/स्क्रीनिंग/साक्षात्कार से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देशः–

(I) आवेदनपत्रों की सन्निरीक्षा/चयन प्रक्रिया,

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्ग–दर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर आयोग द्वारा लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 आयोग की वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) ऑनलाइन आवेदन–पत्र के साथ समस्त वांछित अभिलेख/प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अंतिम **तिथि जनवरी, 2023** तक प्राप्त किए जायेंगे। **आयोग में प्राप्त अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी,** जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:–

(i) अभ्यर्थी द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ii) ऑनलाइन आवेदन में अधिमानी अर्हता का दावा करने पर परन्तु अधिमानी अर्हता से सम्बन्धित प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

(iii) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने परंतु उत्तराखण्ड

राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में क्षैतिज आरक्षण का दावा किया गया है किन्तु आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अथवा क्षैतिज आरक्षण सम्बन्धी प्रमाणपत्र निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/ऑनलाइन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iv) अभ्यर्थी द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में आवेदन को अपूर्ण मानते हुए अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(II) स्कीनिंग परीक्षा हेतु निर्देशः–ऑनलाईन आवेदन पत्र अधिक संख्या में प्राप्त होने पर साक्षात्कार परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी के दृष्टिकोण से आयोग द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा भी आयोजित की जा सकती है। स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित होने की दशा में स्कींनिग परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर यथासमय प्रसारित किया जायेगा, स्क्रीनिंग परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् है–

(1) अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाईन प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगें। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगें। इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचना राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं वेबसाइट के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(2) स्कींनिग परीक्षा में (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का प्रश्नपत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जायेगी।

(3) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड–**वस्तुनिष्ठ प्रश्नपत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा–

(क) प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए चार विकल्प उत्तर के रूप में रहेगें। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए प्रश्न हेतु नियत किये गये अंको का एक चौथाई दण्ड रूप में काटा जायेगा।

(ख) प्रत्येक प्रश्न का यदि अभ्यर्थी एक से अधिक उत्तर देता है, तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा, यदि दिए गए उत्तरों में से एक उत्तर सही भी हो, फिर भी उस प्रश्न के लिए उसी तरह का दण्ड दिया जायेगा।

(ग) यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(4) स्क्रीनिंग परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) के प्रश्नपत्रों से सम्बन्धित उत्तरकुंजी/कुंजियों का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा और अभ्यर्थी उत्तरकुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त् प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया

जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसे अभ्यर्थियों की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। आपत्तियों के संबंध में प्राप्त प्रत्यावेदनों का निस्तारण संबंधित विषय विशेषज्ञों से कराने के उपरान्त् विषय विशेषज्ञों की संस्तुति के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

(5) परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) में कैलकुलेटर का प्रयोग वर्जित है।

(6) **अँगूठे का निशान** (Thumb Impression):–
सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में उत्तर–पत्रक के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (पुरूष अभ्यर्थी की दशा में बाँये अँगूठे का निशान तथा महिला अभ्यर्थी की दशा में दाँये अँगूठे का निशान) अवश्य अंकित करेंगे। अँगूठे का निशान अंकित न करने पर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(7) परीक्षा तिथि, समय एवं परीक्षा कार्यक्रम व परीक्षा केन्द्र के सम्बन्ध में अनुक्रमांक सहित सूचना आयोग की वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने वाले ऑनलाईन प्रवेश–पत्रों द्वारा प्रदान की जायेगी। अभ्यर्थियों को आवंटित केन्द्र पर ही परीक्षा देनी होगी। केन्द्र परिवर्तन सम्बन्धी कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) स्क्रीनिंग परीक्षा एक क्वालीफाईंग परीक्षा है, जिसके अंक साक्षात्कार के अंकों के साथ जोड़े नहीं जायेगें।

(III) साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्देशः–

(1) स्कीनिंग परीक्षा में सफल/सन्निरीक्षा के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार परीक्षा हेतु आहूत किया जायेगा।

(2) साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थियों को पुनः आवेदन पत्र भर कर ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाणपत्र संलग्न कर साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करने होंगे। अभ्यर्थियों को उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध कराये जायेगें। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये अभिलेखों का मिलान मूल प्रमाण पत्रों/अभिलेखों से साक्षात्कार दिवस में साक्षात्कार से पूर्व किया जायेगा तत्समय अभ्यर्थी को स्व–प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटो ग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(4) केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ सेवा नियोजक का 'अनापत्ति प्रमाणपत्र' की मूल प्रति अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।

(5) साक्षात्कार में प्राप्त अंको के आधार पर रिक्त पदों की संख्या के अनुसार मैरिट उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के अनुसार न्यूनतम अर्हता अंक धारित अभ्यर्थियों की मेरिट के क्रम में अभ्यर्थियों को चयनित किया जायेगा। चयन परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

13. सामान्य निर्देशः–

(1) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि विज्ञापन की शर्तों से संतुष्ट हो जाने के पश्चात् ही आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(2) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हो कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(3) प्रश्नगत पद के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उन का

प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चुन लिया जाता है, तो भी आयोग की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(4) मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नही होगा।

(5) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर एक जैसे होने चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(6) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

(7) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथा समय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत **"अनापत्ति प्रमाण–पत्र"** प्रस्तुत करना होगा।

(8) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं0 तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(9) अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाईन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगें। अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगें। इस संबंध में अभ्यर्थियों की सूचना हेतु विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **www.psc.uk.gov.in** पर भी सूचना प्रसारित की जायेगी।

(10) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (डिबार) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(11) परीक्षा केन्द्र/आयोग परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार कि प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं।

(12) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः** कोई भी अभ्यर्थी किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा।

(13) **कदाचार के दोषी** पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules–2013 **(प्रथम संशोधन 2016)** के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(14) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाही:** अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(15) **परीक्षा भवन/आयोग भवन में आचरण:** परीक्षा केन्द्र/कक्ष/आयोग भवन में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा/साक्षात्कार के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को परेशान भी नही करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए कठोर दण्ड दिया जाएगा।

(16) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगा :

1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात **(क)** गैरकानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, **(ख)** अनुचित दबाव डालना, ,या **(ग)** परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैक मेल करना अथवा तथा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा **2.** नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा **3.** प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट–रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा **4.** जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा **5.** गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा **6.** परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, **(क)** गलत तरीके से प्रश्नपत्र की प्रति प्राप्त करना **(ख)** परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, **(ग)** परीक्षकों को प्रभावित करना, या **7.** परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या **8.** उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा **9.** परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा **10.** परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या **11.** परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या **12.** परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाण पत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हैं, अथवा **13.** उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे **(क)** आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा **(ख)** उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए **(i)** आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है **(ii)** राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। **(ग)** यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है। इस

नियम के अधीन कोई शास्ति तब तक नहीं दी जायेगी जब तक **(i)** अभ्यर्थी को इस संबंध में लिखित अभ्यावेदन, जो वो देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया हो और **(ii)** अभ्यर्थी द्वारा अनुमत समय में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, आयोग द्वारा विचार कर लिया गया हो।

(17) **न्यूनतम अर्हक अंक :उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया विनियमावली–2022** के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों को विनियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही मैरिट के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा।

(18) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(19) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

(20) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचना वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट **www.psc.uk.gov.in** का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(21) विज्ञापित पद हेतु परीक्षा/चयन परिणाम संगत सेवा नियमावली एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया विनियमावली–2022 में विहित प्राविधानों के अन्तर्गत ही तैयार किया जायेगा तथा आयोग द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाईन आवेदन में किये गये दावों की पृष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात् ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

Sd/-
(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट–1

सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद् नियोजक परीक्षा –2023
परीक्षा योजना

(1.) स्क्रीनिंग परीक्षा :– आवेदन पत्रों की अधिक संख्या होने पर साक्षात्कार के लिए अभ्यर्थियों की छंटनी हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा आयोजित की जा सकती है। स्क्रींनिग परीक्षा का पाठ्यक्रम एवं स्क्रींनिग परीक्षा के अंक इत्यादि के संबंध में विवरण यथासमय आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। स्क्रींनिग परीक्षा के अंक साक्षात्कार परीक्षा के अंकों के साथ जोड़े नहीं जायेंगे।

(2.) साक्षात्कार परीक्षाः– 100 अंक

नोटः–(1) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 के अनुसार अनारक्षित पदों के लिए 45 प्रतिशत एवं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित पदों के लिए 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को प्रवीणता सूची में सम्मिलित किया जायेगा। इस प्रवीणता सूची के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन प्रश्नगत पदों हेतु किया जायेगा।

परिशिष्ट–2

(1) उत्तराखण्ड की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धारित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।

प्रमाण–पत्र का प्रारूप

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम,1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर ....

पूरा नाम ....

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार /जिला समाज कल्याण अधिकारी।

(2) उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र

(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोधित हुआ) संविधान (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : **हस्ताक्षर ....**

दिनांक : **पूरा नाम ....**

मुहर : **पदनाम ....**

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/ उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

(3) उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या– 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

<u>प्रमाण–पत्र</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम,1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .... पुत्र/पुत्री/पौत्र/पौत्री (पुत्र की पुत्री) (विवाहित या अविवाहित) उपयंकित अधिनियम,1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पूरा नाम....................................

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी ....

(सील) ....

परिशिष्ट–03

Experience Certificate

Logo of Office
(If available)

Name of Deptt./Office: ……………………………………………………………… …
Address of Deptt./Office: ……………………………………………………………….
Date of Reg. of Company/Firm/Society/Institution/Trust: …………………………..
Registration No.of Company/Firm/Society/Institution/Trust………………………
Telephone No…………………………………………………………………………
Website: ………………………………………………………………………………

Ref. No. :-

This is to certify that Shri /Smt. /Km./Dr. .... Son/ Daughter/Wife of shri... is an employee of this Department/ Organization/ Company/Firm/ Society /Institution/Trust and duties performed by him during the period (s) are as under:

Name of post held	**From** dd/mm/yy	**To dd/mm/yy**	**Total Period dd/mm/yy**	**Nature of appointment (Permanent - Regular/ Temporary/ Part-time/ Contract/ Visiting faculty/Daily wages/ Honorary, etc.)**	**Nature of Experience: Specialty/Field of Research/Technical/ Administration/ Academic or any other experience.**	**Pay scale and last salary drawn**	**Duties performed/ experience gained in brief in each post (Please give details)**	**Place of posting**	**Worked at supervisory level/ middle management level/head of branch/ other**
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10

It is also certified that above facts and figures are true and based on service records available in our Department/Organization/Company/Firm/ Society/Institution/Trust.

Date :
Place :

Sign ....
(Signature & Name of Authorized Signatory in Capital Letters)
Designation with seal

Name & Signature of Candidate :

***** All fields in this form are mandatory to be filled. Incomplete format will not be accepted in any case.